

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला-मीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपालसिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 2020 510

1- डुगा 510 अमरा गुजर नि० गोपालपुरा - 250 फ़ैदा - 900 - प्रार्थी।
बनाम

1- वाडू 460 गेवा गुजर नि० गोपालपुरा - 250 फ़ैदा - 900 विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 2/3/21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा० भू० राज० अधि० 1956 हत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का नागासिया भू० अ० नि० क्षेत्र जिलावा में उनके खाता संख्या 53 की आ० नं० 452-0-4553, 456-0-4553, 461-0-0759, 462/2-0-0126, 464-0-2152, 469-0-0506, 494-0-8473, 667/469 का आराजी नम्बर 2-1246 स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता जेसमें प्रार्थीगण अपने खाते / संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24/12/20 को पंजीबद्ध किया जाकर राशि को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काशत की होने पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार इरा-फैरी होने का अदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन राशि का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया राशि ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का नागासिया भू० अ० नि० क्षेत्र जिलावा में उनके खाता राशि की आराजी नम्बर 452-0-4553, 456-0-4553, 461-0-0759, 462/2-0-0126, 464-0-2152, 469-0-0506, 494-0-8473, 667/469-0-0126 स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू अ० नि० राशि को 1300/- के कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते राशि मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

निर्णय :- प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
सहायक करेडा
करेडा जिला मीलवाडा

तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
सहायक करेडा
करेडा जिला मीलवाडा